फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबरू उर्फ बाबुलाल बनाम विपक्षी : श्री जगदीश व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 70/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 4/1 से 4/4, 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3, 4/1 से 4/4, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाह कर विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध अनुतोष विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अत: विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने से विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी संख्या 927/4 रकबा 7 बिघा प्रार्थी संख्या 1 से 4 के संयुक्त कब्जे खाते उपयोग उपभोग की है तथा प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1206/3 प्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे खाते उपयोग उपभोग की है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 10 का किसी तरह का कोई स्वत्व, हित निहित नहीं है लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 4, 8, 9 प्रार्थीगण के कब्जे खाते की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में दखलअंदाजी करते है। अन्य विपक्षी पडौसी है जिससे प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खडौदा पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2069–72 की खाता संख्या नया 206 की आराजी न. 927/4 किता 1 रकबा 7 बिघा व खाता संख्या नया 424 की आराजी नम्बर 1206/3 किता 1 रकबा 5 बिघा भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी [illegible] कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान [illegible]

निर्णय खुले ईजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedrya
Date: 2025.09.16 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested